जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: F-JDA/ZONE-22/2026/3447

M J DEVELOPERS. Partner Madan Mohan Sharma S/o, D/o, W/o Ram Ji Lal Sharma

d 3 murti kala colony gopalpura by pass Jaipur Jaipur Rajasthan 302018

विषय- Niji Khatedar की Residential योजना **ECO URBAN VATIKA**, ग्राम Ganeshpura तहसील MADHORAJPURA का अनुमोदित मानचित्र जारी करने बाबत I

संदर्भ- नागरिक सेवा केंद्र आवेदन संख्या 296336

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम Ganeshpura तहसील MADHORAJPURA के खसरा नं. 587/46, 43, 567/42, 582/33, 597/571, 47/1, 47/2, 584/33, 47/4, 47/3, 565/41, 580/33, 595/569 कुल किता 13 कुल रकबा 1.995000 हैक्ट. भूमि में योजना "**ECO URBAN VATIKA**" का मानचित्र अनुमोदन बी.पी.सी.(एल.पी.) की 440 वीं बैठक दिनांक 10-09-2026 में किया जाकर रिकॉर्ड शाखा द्वारा क्रम संख्या 1770/B दिनांक 13-10-2026 पर दर्ज कर जारी किया चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर तथा जविप्रा से रहन मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। अतः आप योजना का रेरा में पंजीकरण करवाकर प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।

Signature valid

Digitally signed by Sat[illegible] Khandelwal
Date: 2026.10.[illegible]
Designation :Dep[illegible] C[illegible]mmissioner, (Zone 22)
Location:Jaipur Dev[illegible]opment Authority Jaipur

1770
B
13.10.26

PROPOSED LAYOUT PLAN OF SCHEME
ECO URBAN VATIKA
AT VILL. GANESHPURA TEH.- MADHORAJPURA,JAIPUR
KHASRA-43,595/569,597/571,565/41,567/42,587/46,47/4,580/33
582/33,584/33,47/1,47/2,47/3

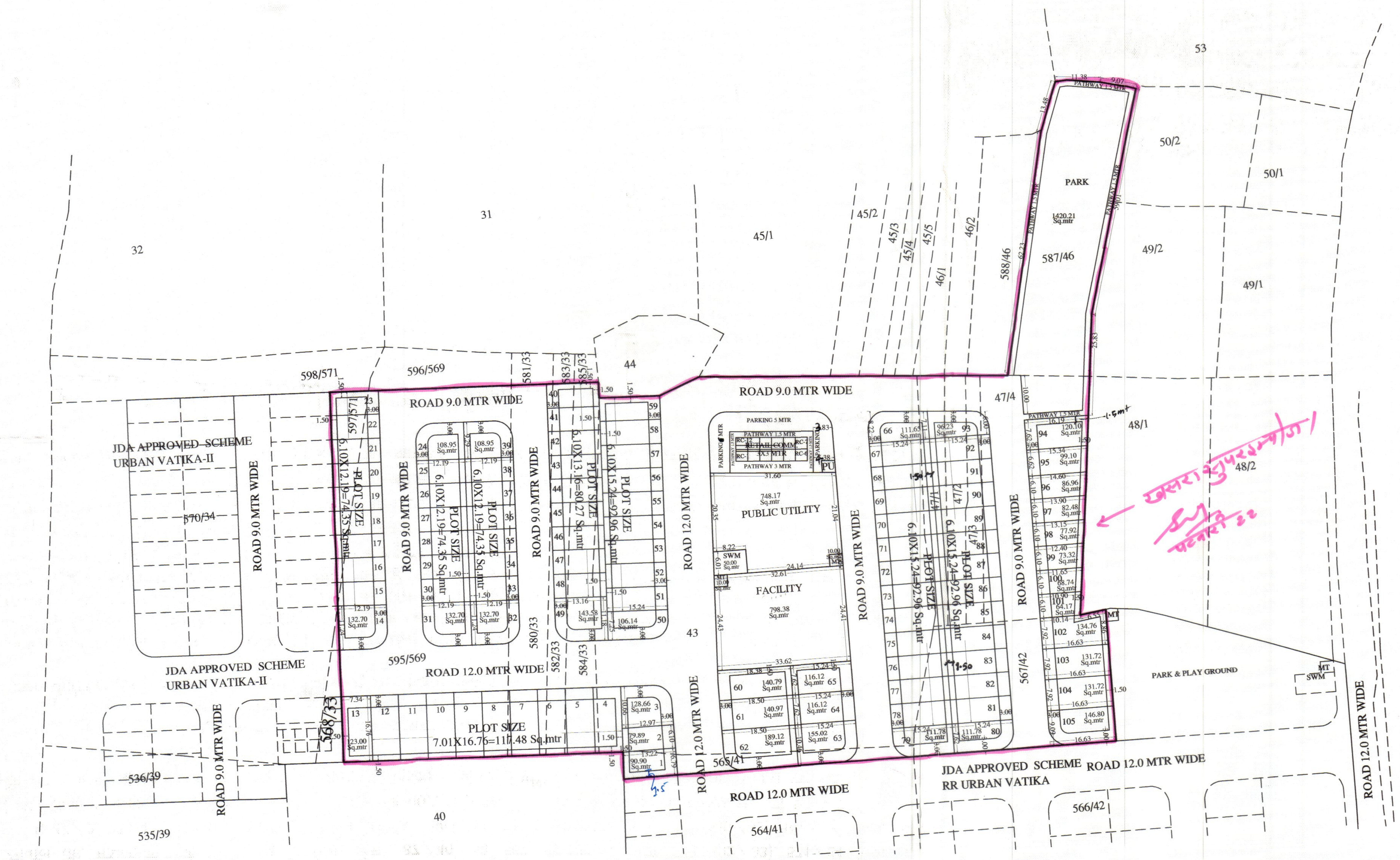

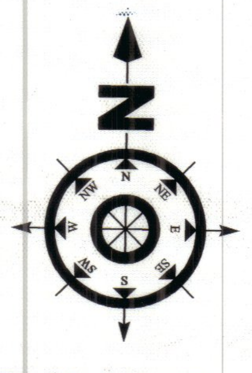

SCALE:-1=750

KEY-PLAN

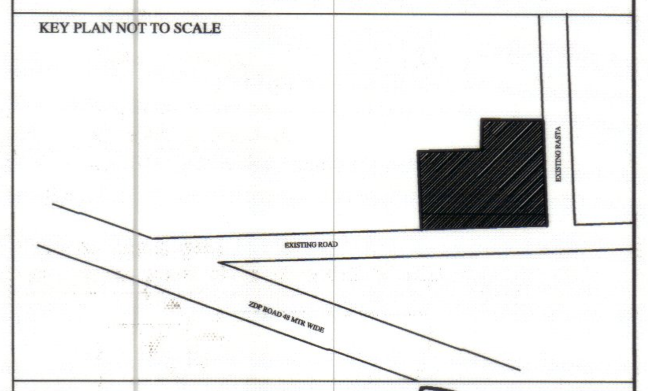

KHASRA PLAN

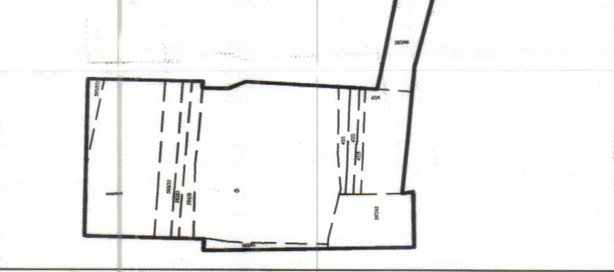

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :–

आवासीय

व्यावसायिक

1. पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड –
2. चार दीवारी निर्मित भूखण्ड –
3. खाली भूखण्ड –

कुल भूखण्ड

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनिकी विश्लेषण :–

S. NO.	LAND USE	AREA (Sq.mtr)	%%
1	RESIDENTIAL	10204.95	51.15%
2	RETAIL SHOP	108.00	00.54%
3	PARKING	357.51	01.80%
	TOTAL(1+2)	10671.46	53.49%
3	PARK	1420.21	07.12%
4	PUBLIC UTILITY+ S.W.M.	798.17	04.00%
5	FACILITY	798.38	04.00%
6	PU	10.00	00.05%
7	MOBILE TOWER	20.00	00.10%
8	ROAD	6231.78	31.24%
TOTAL(3+4+5+6+7+8)		9278.54	46.51%
TOTAL AREA		19950.00	100.00%

योजना की भूमी की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90A की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमापीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

नाम
उपायुक्त जोन:–

बी.पी.सी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SCHEME :-ECO URBAN VATIKA
AT VILL. GANESHPURA
TEH. :- MADHORAJPURA , JAIPUR.

ZONE NO. SECTOR NO.

SCALE:-1=750 DRG. NO.

A.T.P. ZONE D.T.P. S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

SURVEY BY:- MULTI MAX SURVEYORS
LAND SURVEY/GPS SURVEY/SCHEME PLANNING/CADD DESIGNING/JDA SUBMISSIONS
13, Kuber Complex, Lal Khoti Scheme, Jaipur.
- 09928008658, 9928008652
Email:-multimaxjpr@gmail.com

नोटः–

1. राजस्व ग्राम रेनवाल तह. माधोराजपुरा के ख. नं. 46/3 (नया खं.नं. 587/46), 43, 567/42, 33/3 (नया खं.नं. 582/33), 571/34 (नया खं.नं. 597/571), 47/1, 47/2, 33/4 (नया खं.नं. 584/33), 47/4, 47/3, 565/41, 33/2 (नया खं.नं. 580/33), 569/33 (नया खं.नं. 595/569), कुल किता 13 कुल रकबा 01.9950 हैक्ट. भूमि क्षेत्र की 90ए आदेश संख्या 90A/JDA/2025-26/100488 दिनांक 11.05.2026 को पूर्ण की गयी हैं।
2. योजना की भूमि हेतु रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90–ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा किया गया है।
3. योजना का भू–उपयोग मास्टर प्लान शाखा अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान प्लानिंग जोन–16 के अनुसार भू–उपयोग आवासीय दर्शित है।
4. योजना **ईको अरबन वाटिका (ECO URBAN VATIKA)** का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 440वीं बैठक दिनांक 10.09.2026 के एजेण्डा संख्या 07 में किया गया है।
5. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2024 के बिन्दु सं. 06 में सभी सुविधाओं यथा पानी, बिजली, आदि हेतु मानचित्र ले–आउट मानचित्र एवं डीपीआर के साथ आवेदन के साथ प्रस्तुत करने का उल्लेख है। उक्त सुविधाओं का परीक्षण/प्रमाणित अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किया जावें एवं उक्त अनुमोदित मानचित्र एवं डीपीआर के क्रम में ही कम्पलिशन सर्टिफिकेट में उल्लेख कार्यो की जॉच किया जाना प्रस्तावित है। यदि भविष्य में उक्त डीपीआर एवं मानचित्रों में टाउनशिप पॉलिसी–2024 के क्रम में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है, उक्त स्थिति में टाउनशिप पॉलिसी–2024 के मापदण्ड लागू माने जावेंगे।
6. योजना मानचित्र टॉउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
7. प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स जविप्रा विनियम 2025 के अनुसार देय होगे।
8. प्रकरण में टाउनशिप पॉलिसी 2024 के तहत अनुमादित है उक्त के तहत योजना मानचित्र में प्रचलित जन सुविधा की भूमि पर योजना में प्रस्तावित होने वाली सभी सुविधा यथा बिजली, पानी की टंकी डीपीआर के अनुसार प्रस्तावित की जानी अपेक्षित है बीपीसी–एलपी की 414वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार वर्तमान में मानचित्र जारी किया जा रहा है उक्त सूचना का मूल मानचित्र पर अंकन होने के उपरान्त ही लीजडीड जारी किये जाने हेतु शिविर का आयोजन किया जावें।
9. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 10.00 प्रतिशत रहन रखा जाना आवश्यक है। योजना में आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में 10.00 प्रतिशत क्षेत्रफल के लिए भूखण्ड संख्या 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 95, कुल भूखण्ड 08 कुल क्षेत्रफल 1068.89 वर्गमीटर रहन रखा गया है।
10. राजस्व शाखा द्वारा मानचित्र पर खसरा सुपरइम्पोज किया गया।

ILR/PATWARI	T.D.R	D.T.P.	D.C.
(ZONE-22)	(ZONE-22)	(ZONE-22)	(ZONE-22)
(SUDESH KUMARI YADAV)	(SHILPA CHAUDHARY)	(MUKESH SAINI)	(SATYAM KHANDELWAL)

D.T.P. B.P.C.(L.P)
(ANKUR DEWAT)

A.C.T.P B.P.C.(L.P)
(RINKU BANSAL)

MULTI MAX SURVEYORS
13, Kuber Complex, Opp. Police Head Quarter
Lalkoti, Tonk Road, JAIPUR-302015 (Rajasthan)